राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय महिला अधिकारिता
2, जल पथ, गांधीनगर

क्रमांकः एफ19(1)( )मविका/2007/ 41452-84 जयपुर, दिनांक 21/10/09

समस्त उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग

विषय–"महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रसंग में राष्ट्रव्यापी आंदोलन

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ19(1)( )मविका/2007/40636–70 दिनांक 29.09.09 के अनुसार आपको आंगनबाडी स्तर पर 02 अक्टूबर 2009 को प्रभात फेरिया आयोजन करने हेतु विस्तृत निर्देश दिए गए थे। इन प्रभात फेरियों के माध्यम से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विरूद्ध जन–जागृति लाना एक महत्वपूर्ण ध्येय रहा है। आपसे प्रभात फेरियॉ आयोजन के बारे में दिनांक 15.10.2009 तक मय फोटोग्राफ्स रिपोर्ट भेजे जाने के निर्देश दिए गए थे। यह रिपोर्टस शीघ्रातिशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि भारत सरकार को तदानुसार सूचना भेजी जा सके।

दिनांक 02 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को अन्तर्राष्ट्रीय अंहिसा दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की गई है। इसी दिन वर्ष 1975 में समकित बाल विकास सेवाएं प्रारंभ की गई थी। माह अक्टूबर 2006 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 व नियम, 2006 लागू किए गए। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के लागू किये जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य महिलाओं के संविधान प्रदत्त अधिकारों की संरक्षा व व्यथित महिला को उपयुक्त राहत पहुँचाना है। राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिले में कार्यरत उपनिदेशक, पंचायत समिति स्तर पर कार्यरत प्रचेताऐं एवं परियोजना स्तर पर कार्यरत बाल विकास परियोजना अधिकारी अर्थात कुल 548 संरक्षण अधिकारी के रूप में अधिकृत किए गए हैं। इसके साथ ही 79 गैर–शासकीय संस्थानों को सेवाप्रदाता संस्थाओं के रूप में पंजीकृत किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा व्यथित महिलाओ की संरक्षा और उनकी सहायता के उद्देश्य से हर जिले में जिला महिला सहायता समिति भी गठित की है। महिला सहायता समिति के कार्यो का विस्तार करते हुए खण्ड स्तर पर महिला सहायता समितियॉ गठित की गई है ताकि किसी भी असुविधजनक परिस्थिति में महिलाओं को तुरंत राहत और मार्गदर्शन मिल सके।

महिला अधिकारिता के अंतर्गत पंचायत स्तर पर साथिन की नियुक्ति व पंचायत समिति स्तर पर प्रचेता की नियुक्ति महिलाओं में सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करने का मुख्य साधन बन सकते हैं। महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा को एक ठोस दिशा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए

नीतियाँ बनाई गई है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की समानता और समता के ध्येय से जैण्डर संवेदनशील बजटिंग की प्रक्रिया लागू की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निरंतर प्रयास किये जा रहे है ताकि महिलाओं के लिए भयमुक्त समाज की स्थापना संभव हो सके और महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हो सके। यह एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और इसे हमें पूरा करना है।

दिनांक 02 अक्टूबर 2009 से प्रभात फेरियों के माध्यम से महिलाओं के प्रति भयमुक्त समाज की स्थापना की एक नई पहल की गई है। हर स्तर पर यह प्रयास आवश्यक है कि महिलाओं को उत्पीडन और शोषण से बचाया जाए। यह केवल एक दिन में संभव नहीं है। इसलिए प्रतिवर्ष 02 अक्टूबर के दिन प्रभात फेरियों का आयोजन तो किया ही जाए उसके साथ ही जिला स्तर पर जिला महिला सहायता समिति के तत्वावधान में पूरे वर्ष के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए जाएँ ताकि महिलाओं के संरक्षण, उनके अधिकारों की रक्षा, विकास और सशक्तीकरण के लिए ठोस आधार तैयार हो सके।

ये कार्यक्रम प्रत्येक माह के लिए विषयानुसार तैयार किए जा सकते हैं उदाहरणार्थ–

- किशोरी बालिकाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागृति पैदा करने हेतु विचार–गोष्ठियों और सामाजिक कार्यों में उनकी सहभागिता।
- महिला सहायता समूहों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों से जोड़ना ताकि महिलाओं में सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागृति लाई जा सके।
- महिला स्वयं सहायता समूह महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विरूद्ध वातवरण बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
- पंचायत स्तर पर विचार गोष्ठियों के माध्यम से, जिनमें पुरुष भी सम्मिलित हो महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता लाई जा सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए जा सकते हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यथित महिला अपने उपर किए जा रहे अत्याचारों अथवा असामाजिक परिस्थितियों से संरक्षण पा सकती है।
- आंगनबाडी केन्द्र ग्राम स्तर पर एक महत्वपूर्ण ईकाई के रूप में उपलब्ध है। आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा–सहयोगिनी एवं साथिन आदि मिलकर इस प्रकार की योजना बना सकती है जिनके जरिये महिलाओं में सामाजिक कुरीतियों के प्रति चेतना जागृत हो सके और उनमें नवीन आशा का संचार हो सके।
- आंगनबाडी केन्द्र पर प्रति माह आयोजित होने वाली महिला बैठकों में एवं स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर भी इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और महिलाओं की समस्याओं का निवारण स्थानीय स्तर पर भी किया जा सकता है।
- जाजम बैठकों मे भी इन मुद्दों पर बातचीत के जरिये जानकारी ली और दी जा सकती है।
- स्थानीय स्तर पर घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए आंगनबाडी कार्यकर्ता, साथिन आदि को

(14)

प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विशेषकर साथिन और आंगनबाडी कार्यकर्ता आवश्यकता पडने पर व्यथित महिला की शिकायत किस प्रकार संरक्षण अधिकारी अथवा पुलिस थाने तक पहुँचाये ताकि कार्यवाही हो सके। यह कर्मी इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि न्यायालय द्वारा यदि किसी व्यथित महिला हेतु कोई आदेश दिए गए हैं तो उनकी परिपालना संबंधित व्यक्तियों द्वारा की जा रही है अथवा नहीं। इसके लिए इन कर्मियों को जागरुक बनाना आवश्यक होगा।

यह कुछ मुद्दे हैं जो उदाहरणस्वरूप है जिनके आधार पर पूरे वर्ष के लिए कार्यक्रम और कलैण्डर निर्धारित किए जा सकते हैं। जो भी कलैण्डर बनाया जाए वह स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए और उसमें स्थानीय लोगों की पूरी सहभागिता और भागीदारी होनी चाहिए तभी इन कार्यक्रमों की सार्थकता हो पायेगी। आपसे अपेक्षा है कि इन मुद्दों को लेकर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें और 30 अक्टूबर 2009 तक इसकी रूपरेखा निदेशालय महिला अधिकारिता को भिजवायें।

भवदीय,

(डा. सरिता सिंह)
शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक – एफ19(1)( )मविका/2007/ 41485-561 जयपुर, दिनांक 8/1/10/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्यमंत्री जी के विशिष्ट शासन सचिव (डा. दीप पाण्डेय) को उनके ई–मेल दिनांक 05.09.09 के क्रम में।
2. निजी सचिव, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. डा. श्रीरंजन, सयुक्त सचिव, महिला एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. निदेशक, आईसीडीएस, जयपुर।
6. सभी जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला महिला सहायता समिति। आग्रह है कि इस कार्यक्रम मे स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग दिये जाने के साथ–साथ अपने स्तर से भी सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करें।
7. जिला पुलिस अधीक्षक (सभी)।
8. कार्यक्रम निदेशक, क्षेत्रीय संदर्भ केन्द्र, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर व भरतपुर
9. प्रोग्रामर, महिला एवं बाल विकास विभाग को वैब साईट पर डाले जाने हेतु (अपलोडिंग)।

निदेशक (ICDS) एवं
शासन उप सचिव
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राज. जयपुर।

श्री प्रकाश जी 23/10/09